संख्या-623/XXIV/(1)/2013-R-467 /2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक, 27 जून, 2013

**विषयः–"उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011" के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–4(8)(01)/16140/2012–13 दिनांक 25–03–2013 एवं पत्र संख्या–4(8)(01)/239/2012–13 दिनांक 26–04–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर–17 के अन्तर्गत अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल) प्राथमिक/नर्सरी विद्यालयों की मान्यता की शर्तों के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता विषयक पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अतक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय प्रस्ताव के दृष्टिगत उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर–17 के अन्तर्गत अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल)/प्राथमिक/नर्सरी विद्यालयों की मान्यता हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त/दिशा–निर्देश/प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

**(1). विद्यालय की मान्यता :–**

सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वधारी अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय को उत्तराखण्ड निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार निमयावली–2011 के नियम–17 के अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना होगा। शासन द्वारा समय–समय पर मान्यता आदि शर्तों में किये जाने वाले संशोधन सभी विद्यालयों पर यथाविधि लागू रहेगें।

**(2).. आवेदन की अर्हता :–**

विद्यालयों की मान्यता प्राप्त करने के लिये विधि द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त करने हेतु विद्यालय की श्रेणी निम्न प्रकार की होगी :–

(1) अंग्रेजी माध्यम

1. प्री–प्राइमरी से कक्षा–5 तक
2. कक्षा–1 से 5 तक
3. प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक
4. कक्षा–1 से कक्षा–8 तक
5. कक्षा–6 से कक्षा–8 तक

(2) हिन्दी माध्यम

1. प्री–प्राइमरी से कक्षा–5 तक

....2/.......

2. कक्षा–1 से 5 तक
3. प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक
4. कक्षा–1 से कक्षा–8 तक
5. कक्षा–6 से कक्षा–8 तक

**(3). मान्यता हेतु आवेदन–पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :–**

विद्यालयों की मान्यता हेतु उत्तराखण्ड निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार निमयावली–2011 के नियम 17 में उल्लिखित स्वघोषणा–सह–आवेदन पत्र (प्रपत्र–1) सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) व खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं या सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइड http://ssa.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

मान्यता हेतु आवेदन पत्र (स्वघोषणा पत्र) समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुये वांछित संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के कार्यालय में आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष निम्न समय–सारिणी के अनुसार प्राप्त होने चाहिये :–

दिनांक 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक – निर्धारित शुल्क के साथ
दिनांक 01 अगस्त से 31 अगस्त तक – विलम्ब शुल्क के साथ

**(4). आवेदन शुल्क**

(क) हिन्दी माध्य म की मान्यता हेतु – 10,000/–(दस हजार रूपये)
(ख) अंग्रेजी माध्यम की मान्यता हेतु– 50,000/–(पचास हजार रूपये )

निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर दिनांक 16 अगस्त तक 500 रूपये और 31 अगस्त तक 1000 रूपये विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

**आवदेन शुल्क निम्नलिखित लेखाशीर्षक में जमा करना होगा :–**

0202–शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति
01–सामान्य शिक्षा
101–बेसिक शिक्षा
10–मान्यता शुल्क

4(1) **शिक्षा का माध्यमः**–प्रस्तर–2(1) में अंकित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा प्रस्तर–2(2) में उल्लिखित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

**(5). मान्यता हेतु समिति एवं मान्यता की प्रक्रिया :–**

उत्तराखण्ड निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार निमयावली–2011 के नियम–17 के अनुसार विद्यालयों की मान्यता हेतु समिति का गठन एवं मान्यता की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

**(6). मान्यता के मानक :–**

(क) **छात्र अध्यापक अनुपात**– विद्यालय में छात्र एवं अध्यापकों का अनुपात बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्राविधानानुसार रखा जाना अनिवार्य है।

(ख) **आधारभूत संरचना**– प्रत्येक विद्यालय को शिक्षकों की उपलब्धता के साथ–साथ निम्न आधारभूत संरचना की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य हैः–

(1) **भवन**–विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिये किराये/लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिये विचार किया जायेगा। किरायानामा विधिवत् पंजीकृत होना एंव विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है।

(2) बालक–बालिका तथा अध्यापकों हेतु पृथक–पृथक शौचालय उपलब्ध होना आवश्यक है।

...3/.....

(3) विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध होनी आवश्यक है।

(4) खेल का मैदान विद्यालय के साथ संलग्न होना चाहिये, जो छात्रों के खेल हेतु पर्याप्त हो। अत्याधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जहां विद्यालय स्थित है और खेल का स्थान उपलब्ध न हो ऐसे विद्यालय के निकटस्थ नगर पालिका आदि के पार्क/खेल के मैदानों का उपयोग अनुमति पर किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक कक्षा के लिये एक–एक कक्ष उपलब्ध होना आवश्यक है।

(6) कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक हेतु न्यूनतम एक कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(7) विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(ग) **साज–सज्जा एंव उपकरण**–विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बैंच, मेज तथा अध्यापकों के लिये कुर्सी–मेज उपलब्ध होना आवश्यक है।

(घ) **पुस्तकालय**– कक्षा–5 तक के छात्रों के लिये छात्र उपयोगी विभिन्न विषयों की कम से कम 300 पुस्तकों तथा कक्षा–8 तक के लिये कम से कम 500 पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिये। शब्द कोश संदर्भ पुस्तकें तथा अध्यापकोपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध होनी अनिवार्य है।

(ड.) **विज्ञान सामग्री**– विद्यालय में कम से कम 10 हजार रूपये की विज्ञान सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(च) **श्रव्य दृश्य सामग्री**– प्रभावी शिक्षण के लिये आवश्यकतानुसार भूगोल नक्शे, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट इत्यादि उपलब्ध होना आवश्यक है।

(छ) **वित्तीय शर्तें**– मान्यता की शर्तों के अतिरिक्त एक पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन भी अनिवार्य है।

(क) विद्यालय का संदाय रूपया 10,000/–मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदाय–

(1) नकद धनराशि

(2) सरकारी जमानत

(3) अचल सम्पत्ति के रूप में होगा

**टिप्पणी** :–

यदि संदाय नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के पदनाम प्रतिश्रुत होना चाहिये। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा किसी अन्य अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पति बेचने तथा तदर्थ विधिपत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, निरीक्षण अधिकारी को एक अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नही की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र भी लिया जायेगा।

(ख) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा आर्डीनेन्स फैक्ट्रियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान अथवा स्थायी कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नही होगी परन्तु किसी ऐसी संस्था को संचालित करने के लिये सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिये आवश्यक प्राविधान होना चाहिये।

(ज) **मानव संसाधन**–अध्यापकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी एन.सी.टी.ई. द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी।

(झ) **शुल्क** –विद्यालय में छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर कुल उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा, जो शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं अध्यापक/ कर्मचारियों के कल्याणकारी योजना प्रबन्धकीय अंशदान का व्ययभार वहन करने के लिये

..4/.....

पर्याप्त हो। उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर 17(5)(ट) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध करायेंगे तथा विद्यालय सूचना पट्ट पर भी चस्पा करेंगे।

**(नोटः– भवन शुल्क लेना वर्जित है तथा सभी विद्यालय अपना शुल्क प्रास्पेक्ट्स में प्रकाशित करेंगे)**

(ञ) **प्रवेश**–विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों से कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की जायेगी।

(ट) **पाठ्यक्रम**–विद्यालय द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी क्रमशः एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही साथ आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम भी अपनाया जा सकता है।

(7). <u>विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण</u> :–

विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के नियम–18 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल/कूमायूँ मण्डल।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालीय शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
5–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
7–राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
8–अपर निदेशक, शिक्षा, पौड़ी/नैनीताल।
9– शिक्षा अनुभाग–2,3,4 व 5 उत्तराखण्ड शासन।
10–समस्त मुख्य शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्राथमिक)उत्तराखण्ड(द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उपसचिव।